पत्रांक- 564 / अ०नि०रा०क०अधि०प्र०शो०सं०/ ट्रांजिट हॉस्टल- नियम-किराया निर्धारण / नजारत / लखनऊ

कार्यालय - अपर निदेशक,
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिनांक : लखनऊ / 06 / जुलाई / 2023

-:: आदेश ::-

राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, 4, विभूति खण्ड, लखनऊ के परिसर में उपलब्ध ट्रांजिट हॉस्टल के 16 सुईट्स में विभागीय अधिकारियों के ठहरने हेतु आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश महोदया के अनुमोदनोपरांत, आवंटन की नवीन प्रक्रिया निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :-

राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ के परिसर में उपलब्ध ट्रांजिट हॉस्टल के सुईट्स के आवंटन हेतु निर्धारित नवीन प्रक्रिया :-

1. ट्राजिट हॉस्टल में सुईट्स की सीमित संख्या को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल के सुईट्स का आवंटन विभागीय डिप्टी कमिश्नर एवं उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों को किया जायेगा एवं चतुर्थ तल के सुईट्स का आवंटन डिप्टी कमिश्नर व उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों को आवंटित न होने की स्थिति में विभागीय राज्य कर अधिकारियों एवं सहायक आयुक्तों को आवंटित किया जायेगा।
2. प्रशिक्षण में आने वाले प्रशिक्षुओं को ट्रांजिट हॉस्टल के सुइट्स का आवंटन नहीं किया जायेगा।
3. ट्रांजिट हॉस्टल के सुईट्स का आवंटन केवल स्थानांतरित होकर आने वाले अधिकारियों, प्रशिक्षण संस्थान में तैनात अधिकारियों, राजकीय कार्य / विशेष कार्य से लखनऊ आने वाले अधिकारियों एवं सेवानिवृत्त विभागीय अधिकारियों को ही किया जायेगा।
4. राज्य कर विभाग से अलग किसी अन्य विभाग के अधिकारियों अथवा किसी आयोजन विशेष / व्यक्तियों हेतु सुईट्स का आवंटन विभागाध्यक्ष की अनुमति से ही किया जायेगा।
5. सुईट्स में लगे उपकरणों / फर्नीचर एवं किचन सामग्री की सुरक्षा का दायित्व आवंटी / ठहरने वाले अधिकारियों का होगा।
6. सुईट्स में स्थापित उपकरणों एवं अन्य सामग्री के सम्बंध में कोई कमी पाये जाने अथवा कोई अन्य आवश्यकता के लिए आवंटी द्वारा परिसर में उपस्थित केयर टेकर और संस्थान के नाजिर को तत्काल सूचित किया जायेगा।
7. आवंटित सुईट्स का उपयोग विभागीय अधिकारियों द्वारा केवल स्वयं के उपयोगार्थ किया जायेगा। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवंटन की अवधि में सुईट्स का उपभोग पूर्णतया वर्जित होगा।
8. ट्रांजिट हॉस्टल में आवंटित सुईट्स में पान / तम्बाकू पदार्थ / पान मसाला / गुटखा / मदिरा एवं मादक पदार्थों का प्रयोग पूर्णतया वर्जित होगा एवं किसी भी अनैतिक गतिविधि के पाये जाने पर आवंटी के विरुद्ध विभागीय एवं विधिक कार्यवाही की जायेगी।
9. ट्रांजिट हॉस्टल के सुईट्स का आवंटन अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार किया जायेगा।

आवंटन हेतु अधिकारियों की पात्रता एवं अवधि निम्नवत होगी :-

9 (क)- राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में स्थानांतरित / सम्बद्ध होकर तैनात अधिकारियों को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 60 दिन तक अध्यासन हेतु सुईट का आवंटन रू० 300-00 प्रतिदिन / प्रति सुईट की दर से किया जायेगा एवं तदोपरांत 60 दिन के बाद अग्रेतर अध्यासन के लिए ट्रांजिट हॉस्टल हेतु निर्धारित प्रतिदिन के किराये की वसूली रू० 300-00 प्रतिदिन / प्रति सुईट के स्थान पर रू० 1500-00 प्रतिदिन / प्रति सुईट की दर से पैनल रेंट / किराये के आधार पर वसूली की जायेगी।

9 (ख)- राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से इतर स्थानांतरित / सम्बद्ध होकर मुख्यालय, मंडल कार्यालय व शासन में तैनात अधिकारियों को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 30 दिन तक अध्यासन हेतु सुईट का आवंटन रू० 300-00 प्रतिदिन / प्रति सुईट की दर से किया जायेगा एवं तदोपरांत 30 दिन के बाद अग्रेतर अध्यासन के लिए ट्रांजिट हॉस्टल हेतु निर्धारित प्रतिदिन के किराये की वसूली रू० 300-00 प्रतिदिन / प्रति सुईट के स्थान पर रू० 1500-00 प्रतिदिन / प्रति सुईट की दर से पैनल रेंट / किराये की वसूली की जायेगी।

9 (ग)- किसी कार्य से, अन्य जिलों से लखनऊ आने वाले विभागीय अधिकारियों को एक बार में अधिकतम 05 दिन तक अध्यासन हेतु सुईट का आवंटन रू० 300-00 प्रतिदिन / प्रति सुईट की दर से किया जायेगा एवं तदोपरांत 05 दिन के बाद अग्रेतर अध्यासन के लिए ट्रांजिट हॉस्टल हेतु निर्धारित प्रतिदिन के किराये की वसूली रू० 300-00 प्रतिदिन / प्रति सुईट के स्थान पर रू० 1500-00 प्रतिदिन / प्रति सुईट की दर से पैनल रेंट / किराये की वसूली की जायेगी।

07/07/23
D.C.(I.T.) 06/07/2023 1206

9(घ)- विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारियों को एक बार में अधिकतम 03 दिन तक अध्यासन हेतु सुईट का आवंटन रू० 300-00 प्रतिदिन / प्रति सुईट की दर से किया जायेगा एवं तदोपरांत 03 दिन के बाद अग्रेतर अध्यासन के लिए ट्रांजिट हॉस्टल हेतु निर्धारित प्रतिदिन के किराये की वसूली रू० 300-00 प्रतिदिन / प्रति सुईट के स्थान पर रू० 1500-00 प्रतिदिन / प्रति सुईट की दर से पैनल रेंट / किराये की वसूली की जायेगी।

10. बिन्दु 9 (क), 9 (ख), 9 (ग) एवं 9 (घ) की श्रेणीयों में सामान्य दर रू० 300-00 प्रतिदिन / प्रति सुईट पर निर्धारित अवधि के उपरांत अध्यासन करने पर प्रतिदिन रू० 1500-00 की दर से पैनल रेंट / किराया / शुल्क वसूला जायेगा।

11. ट्रांजिट हॉस्टल के सुईट का किराया इस आदेश के जारी होने की तिथि से रू० 300-00 प्रतिदिन / प्रति सुईट निर्धारित होगा।

12. प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विशेष प्रायोजनों एवं अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवंटन की अवधि में भी सुइट् रिक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया जा सकता है।

13. सुइट के आवंटन हेतु प्रार्थी को पठनीय हस्तलिपि में निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. आवंटित सुइट्स के किराये स्वरूप आवंटी से प्राप्त धनराशि को निर्धारित प्रारूप में मुद्रित रसीद पर नाजिर राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जमा किया जायेगा एवं मुद्रित रसीदों से प्राप्त समस्त धनराशि को एक सप्ताह के अन्दर ट्रेजरी रसीद सं०-385 के माध्यम से वित्तीय नियमों के अनुसार लेखा शीर्षक- 0040008000100 अन्य प्राप्तियां के नामे जमा कराया जायेगा।

15. एक सप्ताह के अन्दर किराये स्वरूप प्राप्त धनराशि के विरूद्ध जारी रसीदों एवं तत्क्रम में काटी गयी ट्रेजरी रसीद सं०- 385 के विवरण का रजिस्टर, नाजिर, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के द्वारा रखा जायेगा, जिसमें आवंटी अधिकारी का नाम, पदनाम, अवधि, कार्यालय द्वारा जारी मुद्रित रसीद की संख्या तथा ट्रेजरी रसीद की क्रम सं० की प्रविष्टि की जायेगी।

(अरविन्द कुमार)
अपर निदेशक
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान,
उ०प्र०, लखनऊ।

पृष्ठांकन एवं पत्र संख्या –उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर आयुक्त (प्रशासन), राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. संयुक्त आयुक्त (सम्पत्ति), राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5. संयुक्त आयुक्त (आई०टी०), राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट की नोटिस बोर्ड पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
6. संयुक्त निदेशक (नजारत / प्रशिक्षण / स्थापना / आई०टी०), राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. उप निदेशक (नजारत), राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. उप निदेशक / आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. नाजिर, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि आदेश की एक प्रति ट्रांजिट हॉस्टल के केयर टेकर / सेवक के माध्यम से वर्तमान में अध्यासित समस्त अध्यासियों को प्राप्त कराना / ट्रांजिट हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

05/07/2023

अपर निदेशक
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान,
उ०प्र०, लखनऊ।